International Research Journal of Management Science & Technology



ISSN 2250 – 1959(0nline)
2348 – 9367 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMST.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

भारतीय संघवाद में केन्द्र-राज्य संबंधों का राजनीतिक विश्लेषण: संवैधानिक प्रावधान एवं समकालीन चुनौतियाँ

डॉ. बृजेश स्वरुप सोनकर

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग

कर्म क्षेत्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इटावा (उ.प्र.)

सारांश

भारतीय संघवाद भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, जिसके अंतर्गत शासन की शक्तियों का विभाजन केन्द्र एवं राज्यों के मध्य किया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था में राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक समन्वय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करना एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक एवं राजनीतिक दायित्व है। संविधान के अनुच्छेद 245 से 263 तक विधायी एवं प्रशासनिक संबंधों के विभिन्न पक्षों का प्रावधान है, जबकि वित्तीय संबंधों, कराधान तथा संसाधनों के वितरण के लिए पृथक संवैधानिक व्यवस्थाएँ निर्धारित की गई हैं। यद्यपि भारतीय संघवाद में केन्द्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, तथापि राज्य सरकारें लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय विकास तथा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

प्रस्तुत शोध-पत्र में भारतीय संघवाद के संवैधानिक आधार, विधायी एवं प्रशासनिक संबंधों, वित्तीय संसाधनों के वितरण, राज्यपाल की भूमिका, राष्ट्रपति शासन, अन्तर्राज्यीय विवादों तथा केन्द्र-राज्य संबंधों पर राजनीतिक दलों के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। साथ ही, वित्त आयोग, अन्तर्राज्यीय परिषद, वस्तु एवं सेवा कर परिषद तथा सहकारी संघवाद जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारतीय संघवाद की प्रभावशीलता केवल संवैधानिक शक्तियों के विभाजन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि राजनीतिक विश्वास, संस्थागत निष्पक्षता, वित्तीय न्याय तथा संवादपरक शासन पर भी आधारित है। संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए संवैधानिक मर्यादाओं का पालन, राज्यों की सार्थक भागीदारी तथा विवादों के संस्थागत समाधान को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

मुख्य शब्द : भारतीय संघवाद, केन्द्र-राज्य संबंध, संवैधानिक प्रावधान, सहकारी संघवाद, वित्तीय संघवाद, राज्य स्वायत्तता, राज्यपाल, वित्त आयोग, अन्तर्राज्यीय परिषद, राजनीतिक विकेन्द्रीकरण।

प्रस्तावना

भारत की संघीय व्यवस्था देश की भौगोलिक विशालता, सामाजिक विविधता, भाषायी बहुलता तथा क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप विकसित हुई है। भारतीय संविधान ने ऐसी शासन-व्यवस्था की स्थापना की जिसमें राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को बनाए रखते हुए राज्यों को प्रशासनिक और राजनीतिक उत्तरदायित्व प्रदान किए गए। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। यह अभिव्यक्ति भारतीय संघ की संवैधानिक प्रकृति को स्पष्ट करती है और इस तथ्य को रेखांकित करती है कि भारतीय संघ राज्यों के मध्य किसी पारस्परिक समझौते का परिणाम नहीं है।

भारतीय संघवाद की विशिष्टता यह है कि इसमें संघीय तथा एकात्मक दोनों प्रकार की विशेषताएँ विद्यमान हैं। एक ओर संविधान ने केन्द्र और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया है, वहीं दूसरी ओर आपातकालीन प्रावधानों, राज्यपाल की नियुक्ति तथा कुछ परिस्थितियों में संसद की विस्तारित विधायी शक्तियों के माध्यम से केन्द्र को सुदृढ़ स्थिति प्रदान की गई है। इसी कारण भारतीय संघवाद को प्रायः मजबूत केन्द्र वाली संघीय व्यवस्था के रूप में समझा जाता है। केन्द्र-राज्य संबंध केवल संवैधानिक अधिकारों के विभाजन तक सीमित नहीं हैं। उनका स्वरूप राजनीतिक दलों की प्रकृति, चुनावी प्रतिस्पर्धा, नेतृत्व के संबंधों, आर्थिक संसाधनों के वितरण तथा क्षेत्रीय असमानताओं से भी प्रभावित होता है। जब केन्द्र और राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होती हैं, तब प्रशासनिक सहयोग के साथ-साथ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की संभावनाएँ भी बढ़ जाती हैं। इसके विपरीत, प्रभावी संवाद और संस्थागत सहयोग संघीय तनाव को कम कर सकते हैं।

इस संदर्भ में भारतीय संघवाद का अध्ययन यह समझने के लिए आवश्यक है कि संवैधानिक प्रावधान व्यवहार में किस प्रकार लागू होते हैं, केन्द्र एवं राज्यों के बीच शक्ति-संतुलन किन परिस्थितियों में प्रभावित होता है तथा लोकतांत्रिक शासन को अधिक उत्तरदायी एवं सहभागी बनाने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है।

शोध समस्या का कथन

भारतीय संविधान ने केन्द्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया है, फिर भी संघीय व्यवहार में विभिन्न प्रकार के तनाव उत्पन्न होते रहे हैं। इन तनावों का सम्बन्ध विधायी अधिकारों की व्याख्या, वित्तीय संसाधनों के वितरण, राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356 के प्रयोग, केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन तथा राज्यों की प्रशासनिक स्वायत्तता से है। इन प्रश्नों का राजनीतिक महत्त्व तब और बढ़ जाता है, जब केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच वैचारिक अथवा दलीय मतभेद उत्पन्न होते हैं। शोध की मूल समस्या यह निर्धारित करना है कि भारतीय संविधान द्वारा स्थापित शक्ति-विभाजन व्यवहार में किस सीमा तक केन्द्र एवं राज्यों के बीच संतुलित संबंध सुनिश्चित करता है। साथ ही, यह परीक्षण करना भी आवश्यक है कि क्या केन्द्र की अपेक्षाकृत सुदृढ़ स्थिति राष्ट्रीय एकता एवं प्रशासनिक समन्वय के लिए अनिवार्य है अथवा कुछ परिस्थितियों में यह राज्यों की स्वायत्तता तथा लोकतांत्रिक संघीय भावना को सीमित कर सकती है।

अतः प्रस्तुत अध्ययन की केंद्रीय समस्या संवैधानिक प्रावधानों और वास्तविक राजनीतिक व्यवहार के बीच विद्यमान संबंधों, तनावों एवं अंतर्विरोधों का विश्लेषण करना है।

शोध के उद्देश्य

1. भारतीय संघवाद की संवैधानिक प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करना।
2. केन्द्र-राज्य संबंधों से संबंधित विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रावधानों का विश्लेषण करना।
3. केन्द्र-राज्य संबंधों पर राजनीतिक दलों, गठबंधन सरकारों एवं क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रभाव का परीक्षण करना।
4. भारतीय संघवाद को अधिक संतुलित, उत्तरदायी एवं लोकतांत्रिक बनाने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध प्रश्न

1. भारतीय संविधान में केन्द्र-राज्य संबंधों को किस प्रकार विनियमित किया गया है?
2. भारतीय संघवाद में केन्द्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियाँ प्रदान करने के प्रमुख संवैधानिक एवं ऐतिहासिक कारण क्या हैं?

3. राज्यपाल तथा अनुच्छेद 356 का प्रयोग केन्द्र-राज्य संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करता है?
4. वित्तीय संसाधनों के वितरण में राज्यों की स्वायत्तता एवं आवश्यकताओं के बीच किस प्रकार का संबंध है?
5. राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय दलों का उदय संघीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?
6. वित्त आयोग, अन्तर्राज्यीय परिषद तथा वस्तु एवं सेवा कर परिषद जैसी संस्थाएँ संघीय सहयोग को किस सीमा तक प्रोत्साहित करती हैं?
7. केन्द्र-राज्य संबंधों में विद्यमान तनावों को कम करने के लिए किन संवैधानिक, संस्थागत एवं राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता है?

परिकल्पना

भारतीय संघवाद की प्रभावशीलता केन्द्र-राज्य के बीच संवैधानिक संतुलन, राज्यों की स्वायत्तता, वित्तीय न्याय तथा पारस्परिक सहयोग पर निर्भर करती है।

शोध-पद्धति एवं शोध-प्रविधियाँ

प्रस्तुत अध्ययन के लिए वर्णनात्मक, ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक शोध-पद्धति का प्रयोग किया गया है। अध्ययन का आधार मुख्यतः द्वितीयक स्रोत हैं, जिनमें भारतीय संविधान, सरकारी आयोगों की रिपोर्टें, वित्त आयोग की अनुशंसाएँ, संसदीय दस्तावेज, न्यायिक निर्णय, राजनीति विज्ञान की मानक पुस्तकें तथा प्रामाणिक शोध-साहित्य सम्मिलित हैं। शोध-प्रविधियों के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधानों का विषयवस्तु विश्लेषण, ऐतिहासिक घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन तथा केन्द्र-राज्य संबंधों की संस्थागत एवं राजनीतिक व्याख्या की गई है। संवैधानिक सिद्धान्तों और व्यावहारिक राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच संबंध स्थापित करके संघीय व्यवस्था की उपलब्धियों तथा सीमाओं का मूल्यांकन किया गया है।

अध्ययन में तथ्यात्मक निष्कर्षों को संविधान एवं सरकारी दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। जहाँ राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या की गई है, वहाँ संवैधानिक तथ्य और विश्लेषणात्मक मत के बीच अंतर बनाए रखा गया है। अध्ययन में किसी एक राजनीतिक दल के दृष्टिकोण को निर्णायक मानने के बजाय संस्थागत संरचना, राजनीतिक परिस्थितियों और संघीय व्यवहार को समग्र रूप में समझने का प्रयास किया गया है।

साहित्य की समीक्षा

भारतीय संघवाद एवं केन्द्र-राज्य संबंधों पर विभिन्न संवैधानिक विशेषज्ञों, राजनीतिक विचारकों तथा सरकारी आयोगों ने महत्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किए हैं :

के. सी. व्हीयर (K. C. Wheare) ने संघीय शासन की व्याख्या केन्द्र एवं क्षेत्रीय सरकारों के बीच संवैधानिक रूप से विभाजित शक्तियों के आधार पर की। उनका दृष्टिकोण भारतीय व्यवस्था की प्रकृति को समझने में उपयोगी है, क्योंकि भारत में संघीय विशेषताओं के साथ केन्द्र की सुदृढ़ स्थिति भी विद्यमान है।

ग्रैनविल ऑस्टिन (Granville Austin) ने भारतीय संविधान को सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक विकास की व्यापक परियोजना के रूप में देखा। उनकी कृति भारतीय संविधान की संस्थागत संरचना के साथ उसके ऐतिहासिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को समझने में सहायता करती है।

सरकारिया आयोग (1983-1988) ने केन्द्र-राज्य संबंधों की व्यापक समीक्षा करते हुए संघीय सहयोग, राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका, अनुच्छेद 356 के संयमित प्रयोग तथा अन्तर्राज्यीय परिषद को प्रभावी बनाने जैसे विषयों पर

अनुशंसाएँ प्रस्तुत कीं। आयोग की रिपोर्ट भारतीय संघवाद में संस्थागत संतुलन की चर्चा का महत्त्वपूर्ण आधार है। इसकी अनुशंसाओं के क्रम में मई 1990 में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई।

पुंछी आयोग (2007-2010) ने केन्द्र-राज्य संबंधों की बदलती राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिस्थितियों का परीक्षण किया। आयोग ने राज्यपाल के पद, संघीय समन्वय, आपातकालीन प्रावधानों तथा केन्द्र और राज्यों की भूमिकाओं से जुड़े प्रश्नों पर विस्तृत विचार प्रस्तुत किए। इसकी रिपोर्ट ने इस आवश्यकता को रेखांकित किया कि संघीय संबंधों को केवल संवैधानिक अधिकारों के आधार पर नहीं, बल्कि उत्तरदायी संस्थागत व्यवहार के आधार पर भी विकसित किया जाना चाहिए।

वित्त आयोगों के अध्ययन ने वित्तीय संघवाद के प्रश्न को प्रमुखता प्रदान की। चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों की कर-हिस्सेदारी बढ़ाने की अनुशंसा करके वित्तीय विकेन्द्रीकरण पर महत्त्वपूर्ण बहस को आगे बढ़ाया। इस विषय में आयोग की रिपोर्ट केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों के विश्लेषण का प्रमुख स्रोत है।

उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि भारतीय संघवाद पर संवैधानिक संरचना, वित्तीय वितरण तथा प्रशासनिक समन्वय के संबंध में पर्याप्त अध्ययन हुए हैं। तथापि इन तीनों आयामों को समकालीन दलीय राजनीति, संवैधानिक पदों के व्यवहार और राज्यों की स्वायत्तता के साथ एकीकृत करके देखना अभी भी विश्लेषण की दृष्टि से आवश्यक है।

शोध-अंतराल

पूर्ववर्ती साहित्य में केन्द्र-राज्य संबंधों के संवैधानिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय पक्षों का व्यापक विवेचन मिलता है। सरकारिया एवं पुंछी आयोगों ने संस्थागत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया, जबकि वित्त आयोगों ने संसाधनों के वितरण और राजकोषीय संतुलन के प्रश्नों को प्रमुखता प्रदान की। इसके बावजूद संवैधानिक प्रावधानों, राजनीतिक दलों के व्यवहार, राज्यपाल की भूमिका तथा वित्तीय निर्भरता के परस्पर संबंधों का एकीकृत विश्लेषण विशेष महत्त्व रखता है। प्रस्तुत अध्ययन इसी अंतराल को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक संरचना और वास्तविक राजनीतिक व्यवहार के बीच संबंध स्थापित करता है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि संघीय संस्थाओं की औपचारिक व्यवस्था और उनके व्यावहारिक संचालन के बीच उत्पन्न अंतर केन्द्र-राज्य संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करता है तथा किन उपायों से इस अंतर को कम किया जा सकता है।

अध्ययन का महत्व एवं आवश्यकता

भारतीय संघवाद का अध्ययन इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि लोकतांत्रिक शासन की प्रभावशीलता केन्द्र और राज्यों के बीच अधिकारों, दायित्वों तथा संसाधनों के संतुलित वितरण पर निर्भर करती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण और उनका क्रियान्वयन तभी अधिक प्रभावी हो सकता है, जब क्षेत्रीय आवश्यकताओं तथा राज्यों की प्रशासनिक परिस्थितियों को उचित महत्त्व दिया जाए।

प्रस्तुत अध्ययन का संवैधानिक महत्त्व इस तथ्य में निहित है कि यह विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रावधानों की व्यावहारिक भूमिका का परीक्षण करता है। इसका राजनीतिक महत्त्व केन्द्र और राज्यों के बीच दलीय प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय दलों के प्रभाव तथा संवैधानिक पदों के उपयोग से संबंधित प्रश्नों के विश्लेषण में है। आर्थिक दृष्टि से यह अध्ययन राजस्व वितरण, अनुदान, कराधान तथा राज्यों की विकास संबंधी आवश्यकताओं के बीच संबंध को समझने में सहायक है। अध्ययन की व्यावहारिक उपयोगिता इस बात में है कि इसके निष्कर्ष संघीय सहयोग, संस्थागत उत्तरदायित्व तथा विवादों के लोकतांत्रिक समाधान के लिए नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार यह शोध भारतीय लोकतंत्र में शक्ति-विभाजन और उत्तरदायी शासन की समझ को विकसित करने में योगदान देता है।

सैद्धांतिक आधार

भारतीय संघवाद का विश्लेषण निम्नलिखित सैद्धांतिक दृष्टिकोणों के आधार पर किया गया है :

1 संघवाद का सिद्धान्त - संघवाद ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियाँ केन्द्र तथा क्षेत्रीय इकाइयों के बीच विभाजित होती हैं और दोनों अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र में संवैधानिक वैधता प्राप्त करते हैं। भारतीय व्यवस्था में यह विभाजन मुख्यतः संविधान की सातवीं अनुसूची तथा संबंधित संवैधानिक अनुच्छेदों पर आधारित है। इस दृष्टिकोण से संघीय संतुलन का मूल्यांकन अधिकारों के विभाजन, संस्थागत स्वतंत्रता और विवाद समाधान की व्यवस्थाओं के आधार पर किया जाता है।

2. सहकारी संघवाद - सहकारी संघवाद केन्द्र एवं राज्यों के बीच परामर्श, संयुक्त निर्णय-निर्माण और नीतिगत समन्वय पर बल देता है। अन्तर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग तथा वस्तु एवं सेवा कर परिषद जैसी संस्थाएँ इस दृष्टिकोण के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार, राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति राज्यों की सहभागिता और उनकी प्रशासनिक क्षमता के समुचित उपयोग से अधिक प्रभावी हो सकती है।

3. प्रतिस्पर्धी संघवाद - प्रतिस्पर्धी संघवाद में राज्य निवेश आकर्षित करने, आधारभूत संरचना विकसित करने, प्रशासनिक सुधार लागू करने तथा आर्थिक अवसरों का विस्तार करने के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह प्रतिस्पर्धा विकास को प्रोत्साहित कर सकती है, लेकिन यदि राज्यों की वित्तीय एवं संस्थागत क्षमताओं में अत्यधिक असमानता हो तो क्षेत्रीय विषमताएँ भी बढ़ सकती हैं।

4. शक्ति-संतुलन एवं संस्थागत दृष्टिकोण - इस दृष्टिकोण के अनुसार संघीय संबंधों की वास्तविक प्रकृति संवैधानिक शक्तियों, राजनीतिक प्रभाव, वित्तीय संसाधनों तथा संस्थागत नियंत्रण के परस्पर संबंध से निर्धारित होती है। भारतीय व्यवस्था में केन्द्र की अपेक्षाकृत सुदृढ़ स्थिति के कारण यह देखना आवश्यक है कि राज्यों की संवैधानिक भूमिका और उनकी व्यावहारिक निर्णय-क्षमता किस सीमा तक सुरक्षित रहती है।

इन सिद्धान्तों का संयुक्त उपयोग भारतीय संघवाद को केवल संवैधानिक संरचना के रूप में नहीं, बल्कि राजनीतिक सहयोग, प्रतिस्पर्धा और शक्ति-संतुलन की गतिशील व्यवस्था के रूप में समझने में सहायता करता है।

अध्ययन का क्षेत्र एवं सीमाएँ

प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र भारतीय संघवाद के संवैधानिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय आयामों तक विस्तृत है। इसमें केन्द्र एवं राज्यों के विधायी अधिकारों, प्रशासनिक संबंधों, वित्तीय संसाधनों के वितरण, राज्यपाल की भूमिका, राष्ट्रपति शासन, अन्तर्राज्यीय विवादों तथा सहकारी संघवाद की संस्थागत व्यवस्थाओं का परीक्षण किया गया है। अध्ययन में संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेदों, सातवीं अनुसूची, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, वित्त आयोग तथा उपलब्ध न्यायिक एवं सरकारी दस्तावेजों को आधार बनाया गया है। राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण में दलीय प्रतिस्पर्धा, गठबंधन राजनीति और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भी सम्मिलित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन की प्रमुख सीमा यह है कि यह मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इसमें प्राथमिक सर्वेक्षण, साक्षात्कार अथवा राज्यों के पृथक वित्तीय आँकड़ों का स्वतंत्र सांख्यिकीय परीक्षण नहीं किया गया है। अतः निष्कर्षों को संवैधानिक एवं संस्थागत विश्लेषण के रूप में समझना उचित होगा, न कि सभी राज्यों के प्रशासनिक व्यवहार का प्रत्यक्ष अनुभवजन्य मापन।

तथ्यात्मक विश्लेषण

भारतीय संघवाद की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए संवैधानिक प्रावधानों, वित्तीय वितरण तथा संघीय संस्थाओं से संबंधित प्रमाणित तथ्यों का अध्ययन आवश्यक है :

1. केन्द्र-राज्य संबंधों के प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

क्रमांक	संवैधानिक अनुच्छेद	प्रमुख विषय
1.	अनुच्छेद 1	भारत अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ
2.	अनुच्छेद 245-255	संसद एवं राज्य विधानमंडलों की विधायी शक्तियाँ
3.	अनुच्छेद 246	संघ, राज्य एवं समवर्ती सूचियों के आधार पर विधायी अधिकार
4.	अनुच्छेद 248	अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संसद में निहित
5.	अनुच्छेद 249	राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद की विधायी शक्ति
6.	अनुच्छेद 252	दो या अधिक राज्यों की सहमति से संसद द्वारा कानून
7.	अनुच्छेद 256-263	प्रशासनिक संबंध एवं अन्तर्राज्यीय समन्वय
8.	अनुच्छेद 263	अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान
9.	अनुच्छेद 268-281	कराधान, राजस्व वितरण एवं वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान
10.	अनुच्छेद 280	वित्त आयोग
11.	अनुच्छेद 312	अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रावधान
12.	अनुच्छेद 356	राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में प्रावधान
13.	अनुच्छेद 360	वित्तीय आपातकाल
14.	अनुच्छेद 279A	वस्तु एवं सेवा कर परिषद

इन प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि भारतीय संघवाद केवल शक्तियों के विभाजन पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें समन्वय, वित्तीय हस्तांतरण, प्रशासनिक नियंत्रण और असाधारण परिस्थितियों में केन्द्रीय हस्तक्षेप की व्यवस्थाएँ भी सम्मिलित हैं।

2. सातवीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों का वितरण

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में विधायी विषयों को तीन सूचियों में विभाजित किया गया है :

क्रमांक	सूची	विषयों का स्वरूप	उदाहरण
1.	संघ सूची	राष्ट्रीय महत्त्व के विषय	रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा
2.	राज्य सूची	मुख्यतः राज्य एवं स्थानीय प्रशासन से जुड़े विषय	पुलिस, लोक व्यवस्था, कृषि
3.	समवर्ती सूची	ऐसे विषय जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं	शिक्षा, वन, विवाह एवं तलाक

समवर्ती सूची में दोनों स्तरों को विधायी अधिकार प्राप्त हैं। तथापि अनुच्छेद 254 के अंतर्गत, सामान्यतः असंगति की स्थिति में संसदीय कानून को प्राथमिकता मिलती है; राज्य के कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने पर कुछ परिस्थितियों में उस राज्य में प्रभावशीलता मिल सकती है, लेकिन संसद बाद में

उसे अधिलिखित कर सकती है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर विधिक एकरूपता और राज्य स्तर पर नीतिगत आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है।

3 वित्तीय संघवाद से संबंधित प्रमुख तथ्य

चौदहवें वित्त आयोग ने केन्द्र के विभाज्य कर-राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की अनुशंसा की। केन्द्र सरकार ने इस अनुशंसा को स्वीकार किया। यह व्यवस्था वित्तीय विकेन्द्रीकरण तथा राज्यों को अधिक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम थी।

4. वस्तु एवं सेवा कर परिषद

संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा अनुच्छेद 279A के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। परिषद में केन्द्रीय वित्त मंत्री, केन्द्र के राजस्व अथवा वित्त संबंधी राज्य मंत्री तथा राज्यों द्वारा नामित वित्त या कराधान मंत्री शामिल होते हैं। इसकी पहली बैठक 22-23 सितम्बर 2016 को हुई और वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से लागू हुई। यह परिषद केन्द्र एवं राज्यों के बीच कराधान संबंधी निर्णयों के लिए एक साझा मंच प्रदान करती है। इसकी व्यवस्था सहकारी संघवाद का महत्त्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय कर-नीति के निर्धारण में राज्यों की भागीदारी को संवैधानिक आधार दिया गया है।

5. अन्तर्राज्यीय परिषद

अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान है। सरकारिया आयोग की अनुशंसाओं के बाद मई 1990 में इस परिषद की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य राज्यों के साझा हितों के विषयों पर विचार-विमर्श करना, नीतिगत समन्वय को प्रोत्साहित करना तथा केन्द्र-राज्य एवं अन्तर्राज्यीय विवादों के समाधान में सहायता देना है। इस प्रकार उपलब्ध संवैधानिक एवं संस्थागत तथ्य दर्शाते हैं कि भारतीय संघवाद में सहयोग के लिए औपचारिक व्यवस्थाएँ मौजूद हैं। इन व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि उनका नियमित, निष्पक्ष और सार्थक उपयोग किस सीमा तक किया जाता है।

विषयगत विवेचन

1. भारतीय संघवाद की संवैधानिक प्रकृति - भारतीय संघवाद की संरचना को समझने के लिए संविधान के अनुच्छेद 1, सातवीं अनुसूची और विधायी शक्तियों के वितरण का संयुक्त अध्ययन आवश्यक है। संविधान ने केन्द्र एवं राज्यों को पृथक विधायी क्षेत्र प्रदान किए हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित करके संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति दे सकती है। अनुच्छेद 250 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 252 के अंतर्गत दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद संबंधित विषय पर कानून बना सकती है, जिसे बाद में अन्य राज्य भी अपना सकते हैं। इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारतीय संघवाद कठोर शक्तिगत पृथक्करण पर आधारित नहीं है। इसकी संरचना में राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप केन्द्र की भूमिका को विस्तारित करने की गुंजाइश रखी गई है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकता तथा नीति-समन्वय में सहायक हो सकती है, किन्तु इसका औचित्य तभी बना रहता है जब इन शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक मर्यादा और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के अनुरूप किया जाए।

2. विधायी संबंध एवं राज्यों की स्वायत्तता - विधायी संबंध भारतीय संघवाद का केंद्रीय आयाम हैं। संघ सूची में रक्षा, विदेश नीति तथा मुद्रा जैसे विषयों को रखने का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता सुनिश्चित करना है, जबकि राज्य सूची में पुलिस, लोक व्यवस्था और कृषि जैसे विषयों को शामिल करना क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। समवर्ती सूची इस व्यवस्था में समन्वयकारी भूमिका निभाती है। शिक्षा, वन तथा विवाह एवं तलाक जैसे विषयों पर केन्द्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इससे राष्ट्रीय मानकों और स्थानीय परिस्थितियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की संभावना उत्पन्न होती है। फिर भी विधायी प्राथमिकता के प्रश्न पर तनाव उत्पन्न हो सकता है। यदि किसी विषय पर केन्द्रीय कानून राज्यों की सामाजिक, आर्थिक या प्रशासनिक परिस्थितियों के अनुरूप न हो, तो राज्यों की नीतिगत स्वतंत्रता प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसके विपरीत, कुछ विषयों में राष्ट्रीय स्तर पर समान कानून आवश्यक हो सकता है। इसलिए विधायी संतुलन के लिए केवल संवैधानिक अधिकारों का निर्धारण पर्याप्त नहीं है; नीतियों के निर्माण में राज्यों के साथ प्रभावी परामर्श भी आवश्यक है।

3. प्रशासनिक संबंध एवं केन्द्रीय निर्देश - संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 राज्यों पर कुछ प्रशासनिक दायित्व निर्धारित करते हैं तथा केन्द्र को संवैधानिक सीमाओं के भीतर निर्देश देने की शक्ति प्रदान करते हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य सरकारों का प्रशासन संसदीय कानूनों के अनुरूप चले और राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों पर आवश्यक समन्वय बना रहे। अखिल भारतीय सेवाएँ भी प्रशासनिक एकीकरण का महत्त्वपूर्ण साधन हैं। इनके अधिकारी संघ तथा राज्य, दोनों स्तरों पर कार्य करते हैं। इससे प्रशासनिक अनुभव, राष्ट्रीय दृष्टिकोण और नीतियों के क्रियान्वयन में निरंतरता को बढ़ावा मिल सकता है। हालाँकि, यदि केन्द्रीय निर्देशों का प्रयोग राज्यों की प्रशासनिक प्राथमिकताओं की उपेक्षा करते हुए किया जाता है, तो यह संघीय असंतोष का कारण बन सकता है। अतः प्रशासनिक संबंधों में स्पष्ट उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और परामर्श का संतुलन आवश्यक है।

4. राज्यपाल की भूमिका एवं राजनीतिक विवाद - राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रमुख होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राज्य के संवैधानिक शासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामान्यतः राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के आधार पर कार्य करना होता है, जबकि संविधान कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में विवेकाधीन भूमिका की अनुमति देता है। राज्यपाल की भूमिका विशेष रूप से त्रिशंकु विधानसभा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, विधेयकों पर निर्णय तथा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित परिस्थितियों में महत्त्वपूर्ण हो जाती है। इन परिस्थितियों में निष्पक्षता और संवैधानिक परंपराओं का पालन आवश्यक है। राजनीतिक विवाद तब उत्पन्न होते हैं, जब राज्यपाल के निर्णयों को निर्वाचित राज्य सरकार के प्रति पक्षपातपूर्ण अथवा केन्द्र के राजनीतिक हितों से प्रभावित माना जाता है। ऐसी स्थिति राज्यपाल के संवैधानिक पद की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाती है। इस समस्या का समाधान राज्यपाल की नियुक्ति में व्यापक परामर्श, कार्यकाल संबंधी संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान, विवेकाधीन शक्तियों के स्पष्ट मानदंड तथा निर्णयों में पारदर्शिता से किया जा सकता है। राज्यपाल का पद केन्द्र और राज्य के बीच संवैधानिक सेतु के रूप में कार्य करे, न कि राजनीतिक संघर्ष का माध्यम बने।

5. अनुच्छेद 356 एवं राष्ट्रपति शासन - अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यह प्रावधान असाधारण परिस्थितियों में संवैधानिक शासन की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था। किन्तु भारतीय राजनीतिक इतिहास में इसके प्रयोग

को लेकर विवाद भी रहे हैं। यदि इस प्रावधान का उपयोग केवल राजनीतिक मतभेद अथवा केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के हितों के आधार पर किया जाए, तो यह राज्यों की लोकतांत्रिक स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है। इसके विपरीत, वास्तविक संवैधानिक विफलता की स्थिति में इसका प्रयोग संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने का साधन हो सकता है। इस संदर्भ में एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस निर्णय ने राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा के अधीन स्वीकार किया तथा बहुमत के प्रश्न पर विधानसभा में शक्ति-परीक्षण के महत्त्व को रेखांकित किया। इससे अनुच्छेद 356 के मनमाने प्रयोग पर संवैधानिक नियंत्रण मजबूत हुआ। इस निर्णय का व्यापक राजनीतिक महत्त्व यह है कि राज्य सरकार का अस्तित्व केवल केन्द्रीय राजनीतिक विश्वास पर निर्भर नहीं हो सकता। निर्वाचित सरकार की वैधता, संवैधानिक प्रक्रिया और न्यायिक समीक्षा संघीय लोकतंत्र के आवश्यक अंग हैं।

6. वित्तीय संघवाद एवं संसाधनों का वितरण - वित्तीय संघवाद भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रभावशीलता का एक प्रमुख निर्धारक है। राज्यों पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस, स्थानीय प्रशासन तथा आधारभूत सुविधाओं जैसे अनेक व्यय-दायित्व होते हैं, जबकि कराधान के प्रमुख स्रोतों का वितरण केन्द्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक रूप से निर्धारित है। इससे राजस्व-संग्रह की क्षमता और व्यय की आवश्यकताओं के बीच असमानता उत्पन्न हो सकती है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित वित्त आयोग केन्द्र और राज्यों के बीच कर-राजस्व के वितरण तथा राज्यों के मध्य हिस्सेदारी के आवंटन पर अनुशंसाएँ प्रस्तुत करता है। चौदहवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत करने की अनुशंसा ने राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तुत किया। फिर भी वित्तीय स्वायत्तता का प्रश्न केवल कर-हिस्सेदारी तक सीमित नहीं है। राज्यों की विकास आवश्यकताएँ, राजस्व-संग्रह की क्षमता, क्षेत्रीय असमानताएँ और केन्द्रीय अनुदानों की शर्तें भी उनके नीतिगत विकल्पों को प्रभावित करती हैं। इसलिए वित्तीय संघवाद का वास्तविक मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि राज्यों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों का उपयोग करने की कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है और कम संसाधन वाले राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार होती है।

7. वस्तु एवं सेवा कर और सहकारी संघवाद - वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने अप्रत्यक्ष कराधान की व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया। इसके लिए संविधान में 101वाँ संशोधन किया गया तथा अनुच्छेद 246A और 279A के माध्यम से केन्द्र एवं राज्यों के बीच कराधान संबंधी अधिकारों तथा संयुक्त निर्णय-निर्माण की व्यवस्था की गई। जीएसटी परिषद ने केन्द्र और राज्यों को कर-दर, छूट तथा अन्य संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श के लिए एक संवैधानिक मंच प्रदान किया। इस व्यवस्था का सकारात्मक पक्ष यह है कि राष्ट्रीय कर-व्यवस्था के निर्माण में राज्यों की भागीदारी संस्थागत रूप से सुनिश्चित हुई। साथ ही, एक साझा बाजार और कर-प्रशासन में समन्वय की संभावनाएँ बढ़ीं। दूसरी ओर, जीएसटी के कारण राज्यों की कुछ स्वतंत्र अप्रत्यक्ष कर-निर्धारण शक्तियाँ सीमित हुईं। परिषद की सिफारिशों, राजस्व संबंधी चिंताओं तथा राज्यों की विशिष्ट आर्थिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक हो गया। इस कारण जीएसटी परिषद की सफलता का मूल्यांकन केवल कर-एकरूपता के आधार पर नहीं, बल्कि राज्यों की प्रभावी भागीदारी, निर्णयों में सहमति और राजस्व संबंधी विश्वास के आधार पर भी किया जाना चाहिए।

8. क्षेत्रीय दल एवं गठबंधन राजनीति - भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों के विकास ने केन्द्र-राज्य संबंधों को अधिक बहुआयामी बनाया है। क्षेत्रीय दल भाषा, संस्कृति, क्षेत्रीय विकास, सामाजिक न्याय तथा

स्थानीय राजनीतिक आकांक्षाओं को राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श में स्थान प्रदान करते हैं। गठबंधन सरकारों के दौर में क्षेत्रीय दलों ने केन्द्रीय नीति-निर्माण में भागीदारी के माध्यम से राज्यों की माँगों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की क्षमता प्राप्त की। इससे भारतीय संघवाद में राजनीतिक परामर्श और सौदेबाजी की भूमिका बढ़ी। हालाँकि गठबंधन राजनीति के कारण नीति-निर्णयों में अस्थिरता अथवा दलगत हितों की प्रधानता की संभावना भी बनी रहती है। यहाँ प्रमुख निष्कर्ष यह है कि क्षेत्रीय दलों का प्रभाव अपने आप में संघीय व्यवस्था को कमजोर या मजबूत नहीं करता। उसका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि क्षेत्रीय माँगों को किस सीमा तक संवैधानिक संवाद, नीतिगत सहयोग और राष्ट्रीय हित के साथ समन्वित किया जाता है।

9. अन्तर्राज्यीय विवाद एवं समन्वय की आवश्यकता - नदी-जल वितरण, सीमाओं, संसाधनों तथा प्रशासनिक अधिकार-क्षेत्र से संबंधित विवाद केन्द्र-राज्य एवं अन्तर्राज्यीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। ऐसे विवादों का समाधान केवल राजनीतिक वक्तव्यों अथवा अस्थायी समझौतों से नहीं किया जा सकता; इसके लिए संवैधानिक, विधिक और संस्थागत व्यवस्थाओं का प्रभावी उपयोग आवश्यक है। अन्तर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषदें तथा संबंधित न्यायिक एवं वैधानिक तंत्र विवादों के समाधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निकाय हैं और उनका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग तथा समन्वय को प्रोत्साहित करना है। इन संस्थाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए नियमित बैठकें, विवादों की समयबद्ध समीक्षा, साझा आँकड़ों का उपयोग और निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी आवश्यक है। इससे संघीय तनावों को राजनीतिक टकराव में बदलने से पहले ही नियंत्रित किया जा सकता है।

10. सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद का पारस्परिक संबंध - सहकारी संघवाद तथा प्रतिस्पर्धी संघवाद परस्पर विरोधी अवधारणाएँ नहीं हैं। सहकारी संघवाद राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में संयुक्त प्रयासों पर बल देता है, जबकि प्रतिस्पर्धी संघवाद राज्यों को प्रशासनिक दक्षता, निवेश और विकास के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। इन दोनों अवधारणाओं का संतुलित प्रयोग भारतीय संघवाद को अधिक प्रभावी बना सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और मानकों का समन्वय आवश्यक है, जबकि राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नीतिगत प्रयोग करने की स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। यदि प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक संसाधन और प्रशासनिक क्षमता सभी राज्यों में समान रूप से उपलब्ध न हों, तो विकास की असमानताएँ बढ़ सकती हैं।

अतः भारतीय संघवाद की सफलता के लिए सहयोग के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संसाधनों का न्यायसंगत वितरण तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता आवश्यक है।

राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन

भारतीय संघवाद का समग्र मूल्यांकन यह स्पष्ट करता है कि केन्द्र-राज्य संबंध केवल संवैधानिक अधिकारों के वितरण की समस्या नहीं हैं, बल्कि उनका संबंध लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास तथा राष्ट्रीय एकता से भी है।

1. सामाजिक दृष्टिकोण - भारत की भाषायी, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधता संघीय व्यवस्था को विशेष महत्त्व प्रदान करती है। राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नीतियाँ बनाने की स्वतंत्रता मिलने से क्षेत्रीय पहचान, भाषायी आकांक्षाओं तथा सामाजिक आवश्यकताओं को लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति प्राप्त होती है।

2. राजनीतिक दृष्टिकोण - राजनीतिक दृष्टि से भारतीय संघवाद की सफलता केन्द्र एवं राज्यों के बीच शक्ति-संतुलन और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर निर्भर करती है। मजबूत केन्द्र राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापक नीतिगत समन्वय और संकट प्रबंधन के लिए आवश्यक हो सकता है, किन्तु इसकी प्रभावशीलता राज्यों की संवैधानिक भूमिका को सम्मान देने पर भी निर्भर करती है। दलीय प्रतिस्पर्धा के कारण संघीय संस्थाओं के कार्य में तनाव उत्पन्न हो सकता है। राज्यपाल की भूमिका, राष्ट्रपति शासन और केन्द्रीय निर्देशों को लेकर विवाद इसी समस्या के उदाहरण हैं। इसलिए संघीय लोकतंत्र में संवैधानिक पदों का निष्पक्ष संचालन, निर्वाचित सरकारों का सम्मान और विवादों का संस्थागत समाधान आवश्यक है। यदि केन्द्र और राज्य स्थानीय आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील रहते हैं, तो संघवाद राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में सहायक होता है। इसके विपरीत, क्षेत्रीय आवश्यकताओं की उपेक्षा अथवा राजनीतिक संवाद की कमी से असंतोष उत्पन्न हो सकता है। इस दृष्टि से भारतीय संघवाद विविधता के प्रबंधन और लोकतांत्रिक सहभागिता का महत्त्वपूर्ण माध्यम है।

3. आर्थिक दृष्टिकोण - आर्थिक दृष्टि से केन्द्र-राज्य संबंधों का प्रमुख प्रश्न संसाधनों की उपलब्धता, राजस्व वितरण तथा विकास संबंधी दायित्वों का संतुलन है। राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में पर्याप्त व्यय करना पड़ता है। इसलिए उनकी विकास क्षमता केवल प्रशासनिक दक्षता से नहीं, बल्कि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर भी निर्भर करती है। चौदहवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों की कर-हिस्सेदारी 42 प्रतिशत करने की अनुशंसा वित्तीय विकेन्द्रीकरण के महत्त्व को दर्शाती है। तथापि राज्यों की वास्तविक वित्तीय क्षमता में अंतर होने के कारण संसाधनों के वितरण में समानता के साथ-साथ आवश्यकतानुसार न्यायसंगत आवंटन भी आवश्यक है। जीएसटी परिषद ने कराधान में समन्वय का मंच उपलब्ध कराया, लेकिन राज्यों की राजस्व संबंधी आवश्यकताओं तथा नीतिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। अतः आर्थिक संघवाद का उद्देश्य केवल संसाधनों का हस्तांतरण नहीं, बल्कि राज्यों की विकास क्षमता को मजबूत करना भी होना चाहिए।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भारतीय संघवाद की उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मजबूत केन्द्र और स्वायत्त राज्यों के बीच संतुलन स्थापित करना, राष्ट्रीय नीतियों और क्षेत्रीय आवश्यकताओं में सामंजस्य बनाना तथा वित्तीय संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना इसकी प्रमुख आवश्यकताएँ हैं।
इसलिए भारतीय संघवाद को स्थिर एवं अपरिवर्तनीय संरचना के रूप में देखने के बजाय एक गतिशील राजनीतिक व्यवस्था के रूप में समझना अधिक उपयुक्त है, जिसकी सफलता संवैधानिक मर्यादा, संस्थागत विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक सहयोग पर निर्भर करती है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय संघवाद एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रीय एकता एवं प्रशासनिक समन्वय के साथ राज्यों की स्वायत्तता को भी महत्त्व दिया गया है। संविधान के अंतर्गत विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का वितरण इस व्यवस्था का आधार है, जबकि कुछ विशेष परिस्थितियों में केन्द्र को विस्तारित अधिकार प्रदान किए गए हैं। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि केन्द्र की सुदृढ़ संवैधानिक स्थिति अपने आप में संघीय असंतुलन का प्रमाण नहीं है। वास्तविक प्रश्न यह है कि इन शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है और राज्यों को निर्णय-निर्माण, वित्तीय संसाधनों तथा प्रशासनिक कार्यों में कितनी प्रभावी भागीदारी प्राप्त होती है।

राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356 का प्रयोग, वित्तीय संसाधनों का वितरण तथा केन्द्रीय नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित विवाद यह दर्शाते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों के साथ निष्पक्ष संस्थागत व्यवहार भी आवश्यक

है। एस. आर. बोम्मई निर्णय ने राष्ट्रपति शासन के प्रयोग पर न्यायिक नियंत्रण को महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान किया। इसी प्रकार वित्त आयोग, अन्तर्राज्यीय परिषद तथा जीएसटी परिषद जैसी व्यवस्थाएँ संघीय सहयोग को संस्थागत रूप देने में महत्त्वपूर्ण हैं। अध्ययन की मुख्य परिकल्पना को समग्र रूप से समर्थन मिलता है कि भारतीय संघवाद की प्रभावशीलता केवल केन्द्र की शक्तियों अथवा राज्यों की स्वायत्तता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि दोनों के बीच संतुलन, वित्तीय न्याय, संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और संवादपरक राजनीतिक व्यवहार पर आधारित है। इसलिए संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए संवैधानिक अधिकारों के सम्मान के साथ-साथ सहयोग, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को भी प्राथमिकता देना आवश्यक है।

सुझाव

भारतीय संघवाद को अधिक संतुलित, प्रभावी एवं लोकतांत्रिक बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं :

1. संवैधानिक मर्यादाओं का पालन: केन्द्र और राज्यों को अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र का सम्मान करना चाहिए। केन्द्रीय शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रीय आवश्यकता तथा संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप किया जाना चाहिए।
2. राज्यपाल की भूमिका में निष्पक्षता: राज्यपाल की नियुक्ति, कार्यप्रणाली और विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। निर्वाचित राज्य सरकार के साथ संवैधानिक सहयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
3. अनुच्छेद 356 का संयमित प्रयोग: राष्ट्रपति शासन का प्रयोग केवल संवैधानिक रूप से उचित परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। जहाँ बहुमत को लेकर संदेह हो, वहाँ विधानसभा में शक्ति-परीक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
4. अन्तर्राज्यीय परिषद को सक्रिय बनाना: परिषद की नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए तथा उसके समक्ष उठाए गए विषयों पर समयबद्ध विचार-विमर्श और अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
5. वित्तीय संघवाद को सुदृढ़ करना: राज्यों को पर्याप्त एवं पूर्वानुमेय वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। संसाधनों के वितरण में विकास संबंधी आवश्यकताओं, राजस्व क्षमता और क्षेत्रीय असमानताओं को उचित महत्त्व दिया जाना चाहिए।
6. जीएसटी परिषद में प्रभावी परामर्श: कराधान संबंधी निर्णयों में राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं और प्रशासनिक अनुभव को पर्याप्त महत्त्व दिया जाना चाहिए। निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया पारदर्शी एवं संवादपरक होनी चाहिए।
7. केन्द्रीय योजनाओं में राज्य सहभागिता: राष्ट्रीय योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में राज्यों की स्थानीय परिस्थितियों, प्रशासनिक क्षमताओं और विकास संबंधी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
8. राजनीतिक संवाद को प्रोत्साहन: केन्द्र एवं राज्यों के बीच दलीय मतभेदों को प्रशासनिक सहयोग में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। विवादों के समाधान में राजनीतिक संवाद तथा संवैधानिक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
9. अन्तर्राज्यीय विवादों का समयबद्ध समाधान: नदी-जल, सीमा एवं संसाधन संबंधी विवादों के निपटारे के लिए संबंधित संवैधानिक, वैधानिक और न्यायिक व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
10. सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद में संतुलन: राज्यों के बीच स्वस्थ विकासात्मक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हुए कम विकसित राज्यों की वित्तीय एवं संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

11. संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही: संघीय संस्थाओं के कार्यों, निर्णयों तथा अनुशंसाओं पर नियमित समीक्षा और सार्वजनिक जानकारी की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
12. संघीय संस्कृति का विकास: केन्द्र और राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व को यह स्वीकार करना चाहिए कि संघीय व्यवस्था में सहयोग, परामर्श और पारस्परिक सम्मान राष्ट्रीय एकता तथा लोकतांत्रिक स्थिरता के आधार हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. ऑस्टिन, ग्रैनविल. (1999). भारत का लोकतांत्रिक संविधान: राष्ट्र की स्थापना में एक अनुभव. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. बासु, दुर्गा दास. (2013). भारत के संविधान का परिचय (20वाँ संस्करण). लेक्सिसनेक्सिस।
3. कश्यप, सुभाष सी. (2011). हमारा संविधान. नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत।
4. व्हीयर, के. सी. (1963). संघीय सरकार (4था संस्करण). ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
5. सिंह, एम. पी., एवं सक्सेना, रेखा. (2013). भारत में संघवाद: सिद्धान्त एवं व्यवहार. मैकमिलन पब्लिशर्स इंडिया।
6. भारत सरकार. (1988). केन्द्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट. गृह मंत्रालय।
7. भारत सरकार. (2010). केन्द्र-राज्य संबंध आयोग की रिपोर्ट. अध्यक्ष: न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी। गृह मंत्रालय।
8. भारत सरकार. (2014). चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट (2015-2020). वित्त आयोग।
9. भारत सरकार. (2016). भारत का संविधान (अद्यतन संशोधनों सहित). विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय।
10. भारत सरकार. (2016). संविधान (एक सौ पहला संशोधन) अधिनियम, 2016. भारत का राजपत्र।
11. भारत सरकार. (1990). अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना संबंधी राष्ट्रपति की अधिसूचना. गृह मंत्रालय।

प्रमुख न्यायिक निर्णय

12. सर्वोच्च न्यायालय. (1994). एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1994 एस.सी. 1918।
13. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय. (2015, 24 फरवरी). चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत; राज्यों की कर-हिस्सेदारी 42 प्रतिशत करने की अनुशंसा. प्रेस सूचना ब्यूरो।
14. भारत सरकार, वस्तु एवं सेवा कर परिषद. (2016). वस्तु एवं सेवा कर परिषद: संवैधानिक आधार, संरचना एवं कार्य।
15. भारत सरकार, गृह मंत्रालय. (2010). केन्द्र-राज्य संबंध आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी विज्ञप्ति. प्रेस सूचना ब्यूरो।

ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

WWW.IIMPS.IN

EARN YOUR

MBA



Accreditation & Ranking

UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

011-41005174

RESEARCH GATEWAY

STOP PLAGIARISM

1 Submit your content in Word File.

2 Get report in 48 hrs.

3 *Missing content or references will be fixed.

4 Citation for your work.

5 Get accurate user friendly report.

researchgateway.in | info@researchgateway.in

+91-9205579779

AROGYAM ONLINE

Arogyam Ayurveda

Holistic Healing through herbs

100% NATURAL

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD

BLUE — Calms your Child's Mind & Body

YELLOW — Promotes Concentration, Stimulates the Memory

PINK — Evokes Empathy, makes your Child Calm

RED — Excites and energizes your Child's body

GREEN — Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM

JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

WWW.JLPER.COM